

Office of Project Director II, PPP Jaipur

No. Tornau-Mukundgarh/POII/PPPJaipur/A-34

Date 25.7.17

The DCF

Sikar

Sawali Road

Sikar

Subject: Submission of FRA Certificate of
Tornau-Mukundgarh- FPIRS/ROAD/21211/2016
issued by the Collector, Nagaur, Sikar.

Sir, Please find enclosed here with, the
FRA Certificate issued by the District-
Collector Nagaur for the PPP Road-section
Tornau- Deedwara- Gannanagarh - Mukundgarh-
SH-60 section. It was issued dated
vide no. F12(Rv)/2017/4575 dated 19/7/2017, 24/7/2017
so it could not be uploaded earlier by
me.

Hence it is requested to kindly
upload the FRA Certificate enclosed.

Regards,

Sangeeta Sharma
25/7/17
Project Director-II (PPP)
PWD, Rajasthan, Jaipur

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर

क्रमांक : एफ.12()राजस्व/2016/बैठक/169

दिनांक : 18.1.16

बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत Annexure-I जारी करने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.1.2016 को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1.	जिला कलक्टर, नागौर	
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर	
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर	
4.	उप वन संरक्षक, नागौर	

प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) की आज्ञा क्रमांक प.6(14)प्रसु/अनु-3/2008(2) दिनांक 14.3.2015 के द्वारा जिला स्तरीय समिति में दो अनुसूचित जनजाति के नाम निर्देशन हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिस हेतु जिला परिषद् की आम बैठक दिनांक 19.12.2015 में विचार विमर्श किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि जिले में अनुसूचित जनजाति को कोई भी सदस्य निर्वाचित नहीं होकर नहीं आया है, तथा अनुसूचित जनजाति का सदस्य मनोनित किया जाना संभव नहीं है।

इस बैठक में उप वन संरक्षक नागौर ने अवगत कराया है कि जिले में परम्परागत वन निवासी नहीं है ना ही वन संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत किया गया है एवं अधिकार पत्र जारी किया जाना शेष नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ(1)विविध/उपसं नागौर/2012-13/एसपी 1 दिनांक 3.10.2012 द्वारा आदेश जारी किये गये थे।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि नागौर जिले में परम्परागत वन निवासी निवास नहीं करते हैं एवं इस आशय का प्रमाण पत्र आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित किया जावे एवं जिन प्रकरणों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत Annexure-I जारी किये जाने हैं, जारी किये जावे।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर,
नागौर

दिनांक : 18.1.16

क्रमांक : सम/170-198

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3), राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर।
4. उप वन संरक्षक, नागौर।
5. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)।
6. विकास अधिकारी (समस्त)।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर,
नागौर

Contact: 01582-241444 (O), 240830 (F) E-mail : dm-nag-rj@nic.in

स्वच्छ नागौर-स्वस्थ नागौर-निराळो नागौर

FORM - I
(for linear projects)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Nagaur

No. F.12(Rev)/2017/ 4575


Date : 19/12/2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 -FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **74.598 hectares (Tarnau-Deedwana section SH60)** of forest land proposed to be diverted in favour **Public Works Department Rajasthan for State Highway** (purpose for diversion of forest land) in **Nagaur** district falls within jurisdiction of **Jayal & Deedwana** tehsils.

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **74.598 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed Not Applicable
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it ; Not Applicable
- The proposals does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Enclosure District Level Meting Proceeding


(Kumar Pal Gautam)
District Collector,
Nagaur